

# कार्यालय कलेक्टर जिला रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / 462 / राहत / 2018

रीवा दिनांक 12 / 06 / 2018

## निविदा सूचना

बाढ़ बचाव कार्य हेतु बाढ़ सामग्री कय की जानी है । पंजीकृत निविदाकर्ता बाढ़ सामग्री प्रदाय करने हेतु निविदा कलेक्टर कार्यालय रीवा के राहत कक्ष में दिनांक 23/06/2018 समय 5:30 बजे शाम तक मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त निविदा दिनांक 25.06.2018 को दोपहर बाद 3 बजे निविदाकर्ताओं एवं समिति के सदस्यों की उपस्थिति में खोली जावेगी। कय की जाने वाली सामग्री का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	सामग्री का नाम	मात्रा	ईकाई
1	2	3	4
01	एल.ई.डी. सर्च लाइट 30 वाट	70	नग
02	मनीला रोप 1इंच	300	मीटर
03	मनीला रोप 1.5 इंच	400	मीटर
04	अन्डर वाटर सर्च लाइट	20	नग
05	आहूजा पी.ए. सिस्टम	25	नग
06	रिफ्लेफिटव रोप 1.12 इंच	300	मीटर
07	रिफ्लेफिटव सेफटी जैकट	20	नग
08	एल.ई.डी. सर्च लाइट 20 वाट	20	नग
09	इलेक्टानिक सेफटी डिवाइस	20	नग
10	कांटा 4 किलो भार का	05	नग
11	गैती	15	नग
12	फावडा	15	नग
13	वेलचा	15	नग
14	कुल्हाडी	10	नग
15	मोटर बोट केन	20	नग
16	बैरिकेट	50	नग
17	पी0 ए0 सिस्टम	50	नग
18	बाड़ीगाड हेलमेट	50-50 (100)	नग
19	गैस माक्स	50	नग
20	केन	50	नग
21	हैन्ड पी0ए0 सेट	50	नग
22	व्हीकल पी0ए0 सेट	50	नग
23	काटा (4 कि0ग्रा0)	10	नग
24	फुट पम्प	10	नग
25	एकटेशन वायर(300 फिट)	07	नग
23	बैरिकेट	50	नग
27	पी0 ए0 सिस्टम	50	नग
28	बाड़ीगाड हेलमेट	50-50 (100)	नग
29	गैस माक्स	50	नग

### निविदा की शर्त:-

01. निविदाकर्ता को सामग्री सप्लाई करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव व रजिस्ट्रेशन एवं टिन नम्बर होना अनिवार्य होगा।
02. परिवहन व्यय निविदाकर्ता को ही वहन करना होगा।
03. निविदा के साथ रूपये 20,000/- (बीस हजार)की डी.डी./ बैंक डाफ्ट अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
03. प्रदाय की गई सामग्री का एक वर्ष तक मेन्टीनेन्स करना निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी। अन्यथा

- की स्थिति में जमा अमानत राशि शासन हित में राजसात कर ली जावेगी।
04. निविदा स्वीकार करने या न करने का पूर्ण एवं अंतिम अधिकार कलेक्टर रीवा को होगा।
  05. प्रदाय की जाने वाली सामग्री का कटलॉग तथा स्पेसिफिकेशन संलग्न करना आवश्यक होगा।  
निविदा प्रस्तुत करते समय प्रदाय की जाने वाली सामग्री का सेम्पल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  06. निविदा स्वीकृत किए जाने के 15 दिवस के भीतर सम्पूर्ण सामग्री प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
  07. किसी भी विवाद की स्थिति में रीवा जिले के अनतर्गत ही वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
  08. उपरोक्त सामग्री की दर अपने स्वयं के लेटर पैड में दिनांक 23/06/2018 समय शाम 5:30 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा।
  09. निविदा की समस्त जानकारी रीवा जिले की वेवसाइट [rewa.nic.in](http://rewa.nic.in) पर भी देख सकते हैं।

कलेक्टर  
जिला रीवा(म0प्र0)